न्यायालय, भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता, सिमडेगा
एस0ए0आर0 वाद सं0 42/2011–12

गोमती देवी
बनाम
दिनुस मलार

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी सहित तारीख
1	2	3
3.3.22	प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदिका मो0 गोमती देवी, पिता– स्व0 देवकरण मांझी, ग्राम– कोरकोटजोर मांझी टोली, थाना– केरसई, जिला– सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया । आवेदिका ने लिखा है कि विपक्षी दिनुस मलार, पिता– स्व0 शनिका मलार ग्राम– कोरकोटजोर मांझी टोली थाना– केरसई जिला– सिमडेगा ने अवैध तरीके से 30 वर्षो से 0.05 ए0 में घर 0.10/5 में बारी है। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1968 के तहत वापस दिलवाने का अनुरोध किया है। वाद संख्या– 42/2011–12 के अनुसार प्र नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत् है:–	

भूमि विवरण:–

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
केरसई	केरसई	29	98	724	$0.15\frac{1}{2}$ ए0
			99	725	

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, केरसई को इस न्यायालय के पत्रांक 216(ii)/विधि, दिनांक 02.08.2011, पत्रांक 598(ii)/रा0, दिनांक 01.06.2013, पत्रांक 664(ii)/रा0, दिनांक 23.07.2016 द्वारा उपयुक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, केरसई के पत्रांक 206 (ii)/ दिनांक 20.10.2011 द्वारा प्रशनगत भूमि क्रमशः खाता सं0– 98, प्लॉट सं0– 724 एवं खाता सं0 99 प्लॉट सं0 725 कुल रकबा$0.15\frac{1}{2}$ ए0एकड़ मे खतियानी रैयत रती गोड़ वल्द लोहरा गोड़ है आवेदिका खतियानी रैयत के पुत्र की पत्नी है एवं पंजी II रैयत मो0 गोमती देवी पति स्व0 देवकरण मांझी के नाम दर्ज है।

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 26.06.2011 से लेकर 25.06.2012 तक उभय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित रहे दिनांक 02.07.2012 को

अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को स्थानान्तरित किया गया। दिनांक 07.08.2012 के क्रम में उभय पक्षों को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस तामिला के उपरांत दिनांक 07.11.2012 को प्रथम पक्ष अनुपस्थित रहें एवं द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी पड़ी। दिनांक 23.11.2012 से लेकर 28.09.2021 तक न तो उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और न ही उभय पक्ष सशरीर उपस्थित हो सके । ऐसा प्रतित होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रुप से अभिरुचि नहीं है। इनकी मनसा भाायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का है। ऐसे स्थिति मे वाद संख्या– 42/2011–12 को संचिकास्त किया जाता है। फिर भी यदि आवेदिका की इच्छा हो तो संबंधित वाद को अनुमण्डल कार्यालय के न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा ।

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सिमडेगा

एस0ए0आर0 वाद अभिलेख संख्या 42/2011

1. वादी का नाम – गोमती देवी
2. प्रतिवादी का नाम – दिनुस मलार
3. वादी के अधिवक्ता का नाम – गौरी शंकर
   मोबाईल नं0
4. प्रतिवादी की अधिवक्ता का नाम – गौरी शंकर
   मोबाईल नं0
5. ग्राम – कोरकोमोर पंचायत –
   अंचल – केरसई जिला – सिमडेगा
6. वाद से संबंधित भूमि का विवरण –

थाना नं0	ग्राम	खाता नं0	लॉट नं0	रकबा
		98 99	724 725	0.15 $\frac{1}{2}$ एकड़

7. अंचल प्रतिवेदन – प्राप्त ✓ / अप्राप्त
8. कब्जा का वर्ष 30 वर्षों से 0.05 में घर 0.10/5 में बारी है
   क). खेती ख.) मकान ग.) कुआँ घ.) अन्य
9. प्रथम पक्ष (I) नोटिस तामिला –
   (II) उपस्थिति –
10. द्वितीय पक्ष (I) नोटिस तामिला –
   (II) उपस्थिति –
11. प्रथम पक्ष मन्तव्य –

12. द्वितीय पक्ष मन्तव्य –

अभिलेख उपस्थापन विवरणी

क्र0सं0	तिथि	
	11.11.16	

आदेश--पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक--ता0..से ....तक

जिला--सिमडेगा, संख्या.......S.A.R. 62/2011

केस का प्रकार:-- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 — मो० गामती देवी

बनाम

दिनुस मलार

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	श्री.......मो० गामती देवी....... पिता.......स्व० देवकान्त मांझी....... साकिन.......कोरकोटजोर.......थाना.......कोरसाई जिला--सिमडेगा ने आवेदन--पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी.......दिनुस मलार पिता स्व० भानका मलार....... साकिन--.......कोरकोटजोर.......थाना.......कोरसाई जिला--सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।	

ग्राम	खाता सं0--	प्लॉट सं0	रकबा
कोरसाई	98	724	0·15½ एकड़
	99	725	

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक.......20/6/2011

को उपस्थापित करें।

17/

19/1

ह० /- 6/6"

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.03.22 12:02:09 +05:30
Location: 192.168.0.109